

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
21/2022

दायर दिनांक
14.02.2022

निर्णय दिनांक
07.03.2022

अनवान

1. शोकीन पिता मिठु जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. शान्ता बाई पत्नी मिठु जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
3. चन्दा पुत्री मिठु जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. सीमा पुत्री मिठु जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. गेहरूलाल पिता हिरा जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. घीसी बाई पुत्री हिरा जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ ।
7. चम्पालाल पिता हिरा जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भवानीराम पिता ऊंकार पूर्बिया गाडरी, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. मिठु पिता भवानीराम पूर्बिया गाडरी, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. शंकर पिता उदयराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. पप्पुडी पिता उदयराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील, चित्तौड़गढ़ ।
5. गुलाबी पत्नी उदयराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. कला देवी पत्नी जगदीश वैष्णव, निवासी मात्रीकुण्डीया, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ ।
7. सोहनी बाई पत्नी गोपीलाल जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ।



8. डाली पत्नी नाथुलाल पूर्बिया गाडरी, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. नारायण पिता गुलाब पूर्बिया गाडरी, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. रूकमणी पत्नी घीसु पूर्बिया गाडरी, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. कस्तुरी पत्नी हिरा पूर्बिया गाडरी, आयु वयस्क, निवासी केसरखेड़ी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. गोवर्धनसिंह पिता जोधासिंह गिलुण्डीया, निवासी राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
13. इन्द्रा देवी पत्नी गोवर्धनसिंह गिलुण्डीया, निवासी राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव
एक तरफा

प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

--:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::--

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केसरखेड़ी पटवार हल्का केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 213 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1379/741 रकबा 0.08 है0 प्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की एवं खाता संख्या 73 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1286/739 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 740 रकबा 0.08 है0 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 07.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी

आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 213 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1379/741 रकबा 0.08 है0 प्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की एवं खाता संख्या 73 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1286/739 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 740 रकबा 0.08 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन